न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 136/2023   जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/60
दायर दिनांक :– 29.09.2023   निर्णय दिनांक :– 03.07.2025

01. जीया पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. पती पत्नी मोडाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. बनाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. खेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नाराणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. ईशाराम पुत्र रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. गेनाराम पुत्र रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. मोहनी पत्नी रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. तुलछाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. एस. बी. आई. बैंक शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम कलाथल पटवार हल्का नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 466 रकबा 10.2790 हैक्टेयर वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम, खसरा नम्बर 466/1 रकबा 10.2790 हैक्टेयर वादी संख्या 3 के नाम, खसरा नम्बर 466/3 रकबा 10.2790 हैक्टेयर, खसरा नम्बर वादी संख्या 5 ता 7 के नाम, खसरा नम्बर 466/5 रकबा 10.2790 हैक्टेयर वादी संख्या 8 के नाम, खसरा नम्बर 466/4 रकबा 4.3301 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 466/7 रकबा 5.3742 हैक्टेयर वादीगण के नाम तथा ग्राम नारायणपुरा पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खेत खसरा नम्बर 545 रकबा 1.5297 हैक्टेयर वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम, खसरा नम्बर 545/1 रकबा 1.5297 हैक्टेयर वादी संख्या 3 के नाम, खसरा नम्बर 545/4 रकबा 1.5297 हैक्टेयर वादी संख्या 4 के नाम, खसरा नम्बर 545/2

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

12023/60 10/11/19

रकबा 1.5297 हैक्टेयर वादीगण संख्या 5 ता 7 के नाम, खसरा नम्बर 545/3 रकबा 1.5297 हैक्टेयर वादी संख्या 8 के नाम, खसरा नम्बर 545/5 रकबा 1.4002 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 544 रकबा 0.1376 हैक्टेयर वादीगण के नाम भूमि वादीगण की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम कलाथल तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 466, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/7 व ग्राम नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 545, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5 में स्थित भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादीगण द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम कलाथल तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 466, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/7 व ग्राम नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 545, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5 भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

03/10/19

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	जीयाराम पुत्र मोडाराम 1/2 हि. पती पत्नी मोडाराम 1/2 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा का सिड खसरा नम्बर 466	नारायणपुरा कलाथल	545 466	1.8373 हैक्टेयर 12.2199 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
2	बनाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545 / 1 466 / 1	1.8373 हैक्टेयर 12.2199	बी–3 बी–2
3	ईशाराम पुत्र रेवतराम 1/3 हि., गेनाराम पुत्र रेवतराम 1/3 हि., मोहनी पत्नी रेवतराम 1/3 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545 / 2 466 / 3	1.8378 हैक्टेयर 12.2199 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
4.	तुलछाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545 / 3 544 466 / 5 466 / 5	1.6997 हैक्टेयर 0.1376 हैक्टेयर 8.1465 हैक्टेयर 4.0732 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
5	खेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545 / 4 466 / 2 466 / 2	1.8373 हैक्टेयर 8.1465 हैक्टेयर 4.0733 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
6.	राज्य सरकार	कलाथल	466 / 6	0.5666 हैक्टेयर	बी–2

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

|2023|60

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. जीया पुत्र मोडाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
02. पती पत्नी मोडाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
03. बनाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
04. खेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नाराणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
05. ईशाराम पुत्र रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
06. गेनाराम पुत्र रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
07. मोहनी पत्नी रेंवतराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
08. तुलछाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
02. एस. बी. आई. बैंक शाखा कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

राजस्व वाद संख्या 136/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम कलाथल तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 466, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 466/5, 466/7 व ग्राम नारायणपुरा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 545, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5 भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र.स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	जीयाराम पुत्र मोडाराम 1/2 हि., पती पत्नी मोडाराम 1/2 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा का. सिड खसरा नम्बर 466	नारायणपुरा कलाथल	545 466	1.8373 हैक्टेयर 12.2199 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
2	बनाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545/1 466/1	1.8373 हैक्टेयर 12.2199	बी–3 बी–2

(फलोदी)

	[illegible]शाराम पुत्र रेवतराम 1/3 हि., गेनाराम पुत्र रेवतराम 1/3 हि., मोहनी पत्नी रेवतराम 1/3 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545/2 466/3	1.8378 हैक्टेयर 12.2199 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
4	तुलछाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545/3 544 466/5 466/5	1.6997 हैक्टेयर 0.1376 हैक्टेयर 8.1465 हैक्टेयर 4.0732 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
5	खेमाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट सा. देह खातेदार	नारायणपुरा कलाथल	545/4 466/2 466/2	1.8373 हैक्टेयर 8.1465 हैक्टेयर 4.0733 हैक्टेयर	बी–3 बी–2
6.	राज्य सरकार	कलाथल	466/6	0.5666 हैक्टेयर	बी–2

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना को अदा करे।
आज की तारीख वसूल याबी तक

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.07.2025 को जारी की गई।

[illegible] कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।